2018 का विधेयक संख्यांक 178

[दि विक्टिम्स ऑफ नेचुरल कलामिटीज़ (रिहैबिलिटेशन एण्ड फाइनान्शियल एसिस्टेन्स) बिल, 2018 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) विधेयक, 2018

प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति (पुनर्वास और वित्तीय सहायता) अधिनियम, 2018 है।

(*2*) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

5 (*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''आयुक्त'' से धारा (*3*) के अधीन नियुक्त आयुक्त अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राकृतिक विपत्ति'' में सूखा, बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, सुनामी, भू-स्खलन या भूकंप या ऐसी अन्य स्थितियां शामिल हैं जो समुचित सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं;

(ग) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(घ) ''प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसे प्राकृतिक विपत्ति के कारण शारीरिक अपहानि हुई हो अथवा जिसकी संपत्ति, जिसके अंतर्गत पशुधन, फसल, फलोद्यान, खेत, मशीन अथवा औजार हैं, की हानि, विनाश अथवा नुकसानी हुई हो तथा प्राकृतिक विपत्ति के कारण ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की दशा में, उसके परिवार के सदस्य सम्मिलित हैं।

प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और अन्य प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए आयुक्त की नियुक्ति।

3. (*1*) **केन्द्रीय सरकार प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और अन्य प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, एक आयुक्त नियुक्त करेगी ।**

(*2*) **उप-धारा (*1*) के अधीन नियुक्त आयुक्त को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में उतने कर्मचारी, जो आवश्यक हों, उपलब्ध कराए जाएंगे।**

(*3*) **आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्तियों के लिए भोजन, पर्याप्त आश्रय और वित्तीय सहायता का उपबंध, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, सुनिश्चित करे।**

(*4*) प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता का संवितरण यथाशीघ्र परंतु प्राकृतिक विपत्ति के घटने के तीन महीनों के अपश्चात् नहीं किया जाएगा।

प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और अन्य प्रसुविधाएं।

4. (*1*) प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आयुक्त को विहित प्ररूप में दावा प्रस्तुत किया जाएगा जो ऐसी जांच करने के पश्चात् और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता का संवितरण करेगा।

(*2*) **प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित वित्तीय सहायता और अन्य प्रसुविधाएं प्रदान की जाएंगी:—**

(क) जीवन हानि की दशा में,—

(i) मृतक के निकटतम संबंधी को प्रतिकर के रूप में सात लाख रुपए से अन्यून वित्तीय सहायता दी जाएगी; और

(ii) मृतक के आश्रितों में से एक को यथोचित रोजगार प्रदान किया जाएगा;

(ख) गंभीर क्षति की दशा में,—

(i) नि:शुल्क चिकित्सीय उपचार; और

(ii) ऐसी वित्तीय सहायता जो आयुक्त की राय में उसके पुनर्वास के लिए आवश्यक है, जो न्यूनतम एक लाख रुपए की राशि और अधिकतम तीन लाख रुपए की राशि की सीमा के अध्यधीन होगी;

(ग) निवास एकक के नुकसान की दशा में, उसे ऐसी वित्तीय सहायता, जो क्षतिग्रस्त निवास एकक की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षित है, प्रदान की जाएगी;

(घ) खेती योग्य भूमि के अपूरणीय नुकसान की दशा में, उसे उसके आवास के स्थान से उचित दूरी पर समान क्षेत्रफल की खेती योग्य भूमि प्रदान की जाएगी;

(ङ) खड़ी फसलों के नुकसान की दशा में, उसे हुए नुकसान के अनुपात में प्रतिकर दिया जाएगा; और

(च) पशुधन की हानि की दशा में, उसे हुई हानि के अनुपात में उसे पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

5. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में। व्यावृत्ति।

6. (*1*) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में सामान्य अथवा विशेष आदेश प्रकाशित करके ऐसे उपबंध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों: कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् इस तरह का कोई आदेश नहीं बनाया जाएगा।

(*2*) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश उसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

7. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारे देश में विभिन्न प्राकृतिक विपत्ति जैसे सुनामी, बाढ़, सूखा, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, भू-स्खलन और भूकंप अधिक होते हैं जिनसे जान और माल को भारी क्षति पहुंचती है। बाढ़ असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा राज्यों और देश के अन्य भागों में बार-बार आती है। देश-भर में सूखा भी आम बात है और बार-बार होने वाली घटना है। सुनामी और चक्रवात तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाते हैं जबकि तूफान और ओलावृष्टि पहाड़ी क्षेत्रों और निकटवर्ती मैदानी क्षेत्रों में जान और माल को भारी क्षति पहुंचाते हैं। अब बार-बार आने वाले भूकंप के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोगों में चिंता बनी हुई है। देश के दक्षिणी भागों में वर्ष 2004 में सुनामी द्वारा भारी तबाही की स्मृति अभी भी हमारे मस्तिष्क में ताजी है। हम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में क्रमश: वर्ष 1991, 1993 और 2001 में भूकंप से हुई भारी क्षति को भी नहीं भूल पाए हैं। जब कभी कोई प्राकृतिक विपत्तियों आती है, देश को अपने संसाधन, बचाव और पुनर्वास प्रक्रियाओं तथा सड़क, पुल, क्षेत्रों, भवनों, आदि की मरम्मत और निर्माण में लगाने होते हैं, जिससे राजकोष पर भारी बोझ पड़ता है। सौभाग्य से, समग्र राष्ट्र ऐसी विपत्तियों का सामना करने के लिए एकजुट होता है परंतु हुई हानि की क्षतिपूर्ति अन्य किसी भी उपाय द्वारा नहीं हो सकती।

नि:स्संदेह, प्राकृतिक विपत्तियों की घटना रोकी नहीं जा सकती परंतु निश्चित रूप से ही हमारे संयुक्त प्रयासों से हम पीड़ितों को समय पर वित्तीय राहत और पुनर्वास कार्यक्रमों के लाभ देकर ऐसी प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों के दु:ख को कम कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभानी होगी क्योंकि राज्य सरकारें किसी भी प्राकृतिक विपत्ति से निपटने और पीड़ित व्यक्तियों को राहत देने में पूर्ण समर्थ नहीं हैं। कभी-कभी, प्रक्रियात्मक बाधाओं के कारण पीड़ितों को राहत पहुंचाने में विलम्ब होता है। अत: यह महसूस किया जा रहा है कि एक उपयुक्त विधान अधिनियमित किया जाए ताकि प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों की तत्काल सहायता करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जा सके। इस विधेयक का आशय देश में ऐसी किसी भी प्राकृतिक विपत्ति की घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्तियों को पुनर्वास और वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
27 नवम्बर, 2018.

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खंड 3 में प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और पुनर्वास उपाय प्रदान करने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति किए जाने का उपबंध है। खण्ड 4 में किसी भी प्राकृतिक विपत्ति में मरने वाले व्यक्ति के निकटतम संबंधी को पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता तथा क्षतिग्रस्त लोगों के लिए चिकित्सीय उपचार एवं प्राकृतिक विपत्ति से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय किए जाने का उपबंध है । अत: विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि में से व्यय होगा। इस अवस्था में, किसी भी अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए वास्तविक व्यय का सही अनुमान लगाना संभव नहीं है। तथापि, यह अनुमान है कि इस पर भारत की संचित निधि में से प्रतिवर्ष पांच हजार करोड़ रुपये का व्यय होगा।

इस पर एक सौ करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खंड 7 में केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। चूंकि, नियम केवल ब्योरे के मामलों से संबंधित होंगे। अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

प्राकृतिक विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

MGIPMRND—2226LS(S3)—17.12.2018.